न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 78/11 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. शीशराम पुत्र जहारिया

2. गिन्दोडी बेवाह हन्साराम जाति जाट निवासीयान ग्राम मातौर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:----- अपीलांटस

बनाम

1 खुर्शीद पुत्र जोम खां
2 अयूब खां पुत्र जोम खां जाति मेवान निवासीयान ग्राम मातौर तहसील मुण्डावर जिला अलवर
3 तहसीलदार मुण्डावर
4 सब रजिस्ट्रार मुण्डावर जिला अलवर
5 :--- रेस्पो0
6

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर
दिनांक 18.9.2008

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री जनार्दन शर्मा

2 वकील रेस्पो0 सं01 :– श्री मौहम्मद खां

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

निर्णय दिनांक 19.4.2018

------- ---------------

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 223/07 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 18.9.08 के खिलाफ है, जिस निर्णय के द्वारा प्रार्थी वादी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पूर्व में जारी टी0 आई0 दिनांक 20.8.2007 को ताफैसला दावा कन्फर्म की गई थी । इससे व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की है ।

2 विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1615, 1701 वाके ग्राम मातौर तहसील मुण्डावर अपीलांट एवं रेस्पो0 की सह खातेदारी की भूमि हैं । हम विवादित भूमि के सह खातेदार है । कानूनन एक सह खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता । साथ ही सह खातेदार को अपनी आराजी के उपयोग, उपभोग एवं बेचान करने से पाबन्द नहीं किया जा सकता । साथ ही अगर तहत न्यायालय को टी0 आई0 जारी करनी ही थी तो प्रार्थी वादी रेस्पो0 के 1/2 हिस्से तक ही जारी करनी थीं । हमारे 1/2 हिस्से पर नहीं । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

3 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि यह सही है कि विवादित आराजी संयुक्त खाते की है । परन्तु ये लोग आये दिन मजाहमत करते थे । इसलिये मैंने तकासमा का वाद प्रस्तुत किया । साथ ही ये लोग बिना बंटवारे के ही आराजी का बेचान कर उसे खुर्द बुर्द करने पर उतारू है । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि आराजी को अगर नुकसान होने, उसका दुर्व्यवयन होने का अंदेशा हो तो आराजी के परिरक्षण, संरक्षण हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है । अतः अपील खारिज की जावे ।

राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में संलग्न राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से सिद्ध है कि विवादित आराजी पक्षकारान की संयुक्त खाते की आराजी है । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि एक सह खातेदार अपने हिस्से की भूमि का बेचान बिना तकासमा कराये कर सकता है । साथ ही माननीय राजस्व मण्डल ने यह भी प्रतिपादित किया है कि एक सह खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । चूंकि अपीलांट विवादित भूमि का सह खातेदार है, जिसे माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में टी0 आई0 से पाबन्द नहीं किया जा सकता । माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में विद्वान तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता । लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है ।

अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.9.2008 खारिज किया जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner